GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

PC-VI/77

No. E(O)III- 2008/PL/05 New Delhi, dated 11.02.2009.

The General Managers
All Indian Railways/Production Units.

(Attn.: Dy.CPOs/Gaz)

Sub: Clarification in regard to fixation of pay in revised pay Scale under Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.

Consequent upon the implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, various changes in the scales of pay, allowances etc have taken place. In this connection some Railway zones have sought clarification regarding grant of officiating Charge Allowance admissible to officers promoted on adhoc basis within Group'A' of various Railway services/posts. The matter has since been examined in detail in consultation with Associate Finance of the Ministry of Railways.

2. At present, the officers are paid the following existing rates of charge allowance on their ad hoc promotions in terms of Board's letter No. E(O)III-98/PL/10 dated 28.04.1999 :-

i) From Junior Scale to Senior Scale	Rs 750/-
ii) From Senior Scale to JA Grade	Rs. 750/-
iii) From JA Grade/Selection Grade to SA Grade	Rs 850/-
iv) From SA Grade to HA Grade	Rs. 1000/-

3. With the coming into effect of 6th CPC recommendations, the scales of pay hitherto applicable have been replaced with running Pay Bands with grade pay. Since the Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure have been issuing clarifications on various issues/allowance payable to Central Govt. employees pursuant to the recommendations of the 6th CPC, it has been decided not to effect any change in the charge allowance being paid as above for the present. As such, it has been decided that the existing Charge Allowance as mentioned in Para (2) above be continued to be paid, until further orders.

(M D Pillai)
DIRECTOR (Estt.)
RAILWAY BOARD

2.....

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(ओ)III-2008/पीएल/05 नई दिल्ली, दिनांक :11-02.2009

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

(ध्यानाकर्षण: उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/राज.)

विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत संशोधित वेतनमान में वेतन के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वेतनमानों, भत्तों आदि में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। इस संबंध में, विभिन्न रेल सेवाओं/पदों के समूह 'क' के भीतर तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारियों को ग्राह्य स्थानापन्न प्रभार भत्ता प्रदान करने के संबंध में कुछ रेल ज़ोनों ने स्पष्टीकरण मांगा है। तब से मामले की रेल मंत्रालय के सह वित्त के परामर्श से विस्तार से जांच की गई है।

2. वर्तमान में, बोर्ड के 28.04.1999 के पत्र सं. ई(ओ)III-98/पीएल/10 के अनुसरण में अधिकारियों को उनकी तदर्थ पदोन्नतियों पर प्रभार भत्ते की निम्नलिखित मौजूदा दरों का भुगतान किया जाता है:-

(i)	कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान तक	750/- रुपए
(ii)	वरिष्ठ वेतनमान से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक	750/- रुपए
(iii)	क.प्र.ग्रे./प्रवरण ग्रेड से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक	850/- रुपए
(iv)	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से उच्च प्रशासनिक ग्रेड तक	1000/- रुपए

3. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के कारण, अब तक लागू वेतनमानों को ग्रेड वेतन के सहित रनिंग वेतन बैंडों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। चूंकि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न मुद्दों/केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय भत्ते पर स्पष्टीकरण जारी किए जाते रहे हैं, यह विनिश्चय किया गया है कि वर्तमान के लिए उपर्युक्त के अनुसार दिए जा रहे प्रभार भत्ते में कोई परिवर्तन लागू न किया जाए। इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा (2) में यथोल्लिखित मौजूदा प्रभार भत्ते को अगले आदेशों तक दिया जाना जारी रखा जाए।

(एम.डी. पिल्लै)
निदेशक (स्थापना)
रेलवे बोर्ड

SECRETARYE(O)III